



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273585
CG-DL-E-18062026-273585

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3065]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3065]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3187(अ).— यतः, मै. जे. मातादी फ्री ट्रेड ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में मन्नूर एवं वलारपुरम गांव, पेरंबक्कम रोड, श्रीपेरंबुदूर तालुक, कांचीपुरम में बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम.स.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिणामी योग (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.465(अ)	10.03.2008	40.625	-	40.625
(ii)	का.आ.1317(अ)	21.05.2009	-	44.150	84.775
(iii)	का.आ.4795(अ)	02.11.2023	-	14.445	99.220

और यतः, मै. जे मातादी फ्री ट्रेड ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1.4850 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 1.4850 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करती है, जिसके परिमाणतः विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्रफल 100.7050 हेक्टेयर हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्र हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः-

तालिका

क्र. सं.	गावं का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मन्नूर	22	0.5850
2.		23	0.9000
कुल			1.4850
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			100.7050

[फा. सं. एफ.2/147/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3187(E).— Whereas, M/s. J Matadee Free Trade Zone Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Sector Special Economic Zone at Mannur and Valarpuram Villages, Perambakkam Road, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below: -

S. No.	Notification No.	Date	Notified Area (in hectares)	Additional area (in hectares)	Total Area (in hectares)
(i)	S.O. 465(E)	10.03.2008	40.625	-	40.625
(ii)	S.O.1317(E)	21.05.2009	-	44.150	84.775
(iii)	S.O. 4795(E)	02.11.2023	-	14.445	99.220

AND, WHEREAS, M/s. J Matadee Free Trade Zone Private Limited, has now proposed for inclusion of additional area of 1.4850 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 1.4850 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 100.7050 hectares. The survey number and the area for additional area notification given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of village	Survey No.	Area to be notified (in Hectares)
1.	Mannur	22	0.5850
2.		23	0.9000
Total			1.4850
Grant total area of SEZ after above addition			100.7050

[F. No. F.2/147/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.